रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93

REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 300] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 2, 1993/भाद्र 11, 1915

No. 300] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 2, 1993/BHADRA 11, 1915

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 1993

सा.का.नि. 584 (अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम किरोसिन, (उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं : इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) 'मुख्य विस्फोटक नियंत्रक' का वही अर्थ होगा जो भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1984 का 4) में है;

(ख) 'उपभोक्ता' से ऐसा व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्था, व्यक्तियों का संगम, सहकारी सोसाइटी या संगठन अभिप्रेत है, जो खाना-पकाने और प्रदीपन के लिए किरोसिन का उपयोग करने के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत है;

(ग) 'व्यौहारी' से ऐसा व्यक्ति, फर्म, व्यक्तियों का संगम, कम्पनी, संस्था, संगठन या सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है, जो सरकारी तेल कम्पनी या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी समानांतर विपणनकर्ता द्वारा अनुमोदित है और किरोसिन के क्रय और विक्रय के कारबार में लगा हुआ/लगी हुई है;

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन विक्रय किए गए किरोसिन के संबंध में 'घोषित कीमत' से केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी क्षेत्र के प्रति

निर्देश से समय-समय पर घोषित अधिकतम विक्रय कीमत अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत ऐसे अन्य प्रभार, दरें, शुल्क और कर भी आते हैं, जो :—

(1) किसी राज्य के किसी क्षेत्र की दशा में राज्य सरकार या जिला कलक्टर द्वारा, या

(2) किसी संघ राज्य क्षेत्र के किसी क्षेत्र की दशा में उस संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा, विहित किए जाएं,

(घ) 'किरोसिन' से हाइड्रोकार्बन का ऐसा मध्यवर्ती आसुत मिश्रण अभिप्रेत है जो भा.मा. ब्यूरो के विनिर्देश सं. 1974 का भा.मा. 1459 को पूरा करता है और जिसके महत्वपूर्ण लक्षण, न्यूनतम 35 डिग्री से. पेड का प्रज्वलन ताप और न्यूनतम 18 मि.मी. का धूम्र बिन्दु हैं;

(ङ) 'सरकारी तेल कम्पनी' से अभिप्रेत है,

(i) इंडियन आयल कारपोरेशन लि.
(ii) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
(iii) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.
(iv) आई.बी.पी. कम्पनी लिमिटेड
(v) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग
(vi) गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड
(vii) आयल इंडिया लिमिटेड, या
(viii) अन्य कोई सरकारी कम्पनी या कानूनी निकाय जिसे केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना द्वारा इस आदेश के प्रयोजन के लिए सरकारी तेल कम्पनी घोषित किया हो;

(च) 'भारतीय मानक' का वही अर्थ होगा जो भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 2 के खण्ड (ड) में है;

(ज) 'समानांतर विपणनकर्ता' से ऐसा कोई व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्था, व्यक्तियों का संगम, सहकारी सोसाइटी या संगठन अभिप्रेत है जो समानान्तर विपणन प्रणाली के अधीन किरोसिन का आयात, परिष्करण, उत्पादन, पैकिंग, विपणन, वितरण और विक्रय करने का कारबार कर रहा है;

(झ) 'समानान्तर विपणन प्रणाली' से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से भिन्न ऐसी प्रणाली अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति स्वयं की व्यवस्था के अधीन किरोसिन का आयात, परिवहन, पैक, वितरण या विक्रय करता है;

(ञ) 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी वितरण प्रणाली के माध्यम से घोषित कीमत पर किरोसिन के वितरण, विपणन या विक्रय की प्रणाली अभिप्रेत है;

(ट) 'भण्डारण स्थल' से वह परिसर अभिप्रेत है जो मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित या अनुज्ञप्त है;

(ठ) 'परिवाहक' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किरोसिन के परिवहन के लिए किसी सरकारी तेल कम्पनी, समानान्तर विपणनकर्ता या किसी वितरक द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन प्रदाय किए गए किरोसिन के उपयोग पर निर्बंधन :

(1) कोई व्यक्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन प्रदाय किए गए किरोसिन का उपयोग खाना पकाने और प्रदीपन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए नहीं करेगा, परन्तु यह कि केन्द्रीय या राज्य सरकार किसी व्यक्ति को आदेश द्वारा किरोसिन का ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जो वह उस आदेश में विनिर्दिष्ट करे, उपयोग करने की अनुज्ञा दे सकेगी।

(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन नियुक्त कोई व्यौहारी या परिवाहक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन ऐसे व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को जिसके लिए प्रदाय अभिप्रेत है, किरोसिन का विक्रय, वितरण या प्रदाय नहीं करेगा।

4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन किरोसिन का उपापन, भण्डारण और विक्रय :

(1) ऐसा कोई व्यौहारी, जिसके पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन प्रदाय किया गया किरोसिन स्टाक में है और कारबार परिसर पर है, जिसके अंतर्गत भण्डारण स्थल भी है:

(क) जब तक कि सरकार या सरकारी तेल कम्पनी द्वारा अन्यथा निदेश न दिया गया हो, किसी कार्य दिवस को कार्य घंटों के दौरान किसी उपभोक्ता को किरोसिन का विक्रय, वितरण या प्रदाय करने से इंकार नहीं करेगा,

(ख) अपना कारबार परिसर, जिसके अंतर्गत भण्डारण स्थल भी है, सरकार या सरकारी तेल कम्पनी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी कार्य दिवस को कार्य घंटों के दौरान बन्द नहीं रखेगा,

(ग) सरकार या सरकारी तेल कम्पनी द्वारा नियत कीमत से अधिक कीमत पर किरोसिन का विक्रय, वितरण या प्रदाय नहीं करेगा।

(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यौहारी यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा कि कारबार परिसर में, जिसके अन्तर्गत भण्डारण स्थल भी है, सभी समय पर किरोसिन का पर्याप्त स्टाक उपलब्ध रहे।

स्पष्टीकरण :—उपखण्ड (1) के प्रयोजन के लिए 'कार्य घंटों' पद से संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त दुकान और स्थापन अधिनियम के अनुसार संबद्ध तेल कम्पनी द्वारा नियत कार्य घंटे अभिप्रेत हैं।

5. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन नियुक्त व्यौहारियों द्वारा स्टाक और कीमत का प्रदर्शित किया जाना :

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यौहारी कारबार के स्थान पर, जिसमें भण्डारण स्थल भी है, सहजदृश्य स्थान पर एक स्टाक-सह-कीमत पट्ट प्रदर्शित करेगा जिसमें निम्नलिखित को दर्शित किया जाएगा :

(i) किरोसिन का प्रारंभिक स्टाक,

(ii) दिन के दौरान प्राप्त की गई मात्रा,

(iii) दिन के दौरान विक्रय की गई, परिदाय की गई या अन्यथा व्ययन की गई मात्रा,

(iv) दिन के बंद स्टाक की मात्रा, और

(v) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो इस बारे में सरकार या सरकारी तेल कम्पनी लिखित रूप में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

6. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन नियुक्त व्यौहारी द्वारा रजिस्टर लेखा बही बनाए रखना और विवरणी प्रस्तुत करना :

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यौहारी प्रत्येक दिन कारबार परिसर में किरोसिन के दैनिक क्रय, विक्रय और भण्डारण का उचित लेखा रखेगा जिसमें :

(i) किरोसिन का प्रारंभिक स्टाक,

(ii) दिन के दौरान प्राप्त मात्रा,

(iii) दिन के दौरान विक्रय की गई परिदत्त की गई, या अन्यथा व्ययनित मात्रा,

(iv) बन्द स्टाक और,

(v) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो इस बारे में सरकार या सरकारी तेल कम्पनी लिखित रूप में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

उपदर्शित होगी।

7. समानान्तर विपणनकर्त्ता द्वारा अभिलेखों का बनाए रखा जाना और सूचना का दिया जाना :

(क) किरोसिन का आयात, परिवहन पैकिंग, विपणन, वितरण और विक्रय आरम्भ करने से पहले प्रत्येक समानान्तर विपणनकर्त्ता केन्द्रीय सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को उपरोक्त क्रियाकलापों में से सभी या किसी एक में स्वयं, को नियोजित करने का अपना आशय उसमें ऐसा करने की अपनी क्षमता और अन्य सुसंगत विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए सूचित करेगा।

(ख) किरोसिन का समानान्तर विपणनकर्त्ता केन्द्रीय सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को आयातित किरोसिन के पत्तन-वार ब्यौरे देते हुए आगामी मास की 15 तारीख के पहले एक मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(ग) समानान्तर विपणनकर्त्ता केन्द्रीय सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को या इस संबंध में इस सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसी अन्य सूचना, जिसकी अपेक्षा की जाए, देगा।

8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन किरोसिन का सुभिन्न होना :

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रदाय किए गए किरोसिन को जब कभी आवश्यक हो, सरकारी तेल कम्पनी द्वारा अंगीकार किए जाने वाले उपयुक्त उपायों के प्रयोग द्वारा समानान्तर विपणन प्रणाली के अधीन आयातित किए जाने वाले, विक्रय किए जाने वाले और वितरित किए जाने वाले किरोसिन से सुभिन्न बनाया जाएगा।

9. प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति :

(क) सरकार के खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग का कोई अधिकारी, जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो और ऐसी सरकार द्वारा प्राधिकृत तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत और अधिसूचित कोई अधिकारी या सरकार द्वारा प्राधिकृत और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अधिकारी जो सरकारी तेल कम्पनी के विक्रय अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, यथापेक्षित सहायता से इस आदेश के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिए कि इस आदेश या इसके अधीन किए गए किसी आदेश का अनुपालन किया गया है,

(i) किसी ऐसे जलयान या यान या किसी अन्य प्रवहण को रोक सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा जिसके बारे में अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसका इस आदेश के उल्लंघन में उपयोग किया गया है या उपयोग किया जा रहा है या उपयोग किया जाने वाला है,

(ii) किसी स्थान में ऐसे साहाय्य या सहायता के साथ जो आवश्यक हो, प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा, और

(iii) किरोसिन कारबार, से संबंधित लेखाबहियों, रजिस्टरों और अन्य अभिलेखों का; ऐसे स्टाक को ले जाने के लिए प्रयुक्त यान, जलयान या किसी अन्य प्रवहण सहित ऐसे साहाय्य या सहायता के साथ जो आवश्यक हो, उस दशा में अभिग्रहण कर सकेगा और उन्हें हटा सकेगा, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है और उसके पश्चात् सरकारी तेल कम्पनी को कार्यालय में किरोसिन के उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए और इस प्रकार अभिगृहीत यान, जलयान या अन्य प्रवहण को उस कलक्टर के समक्ष, जिसको आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का 10) के उपबंधों के अधीन अधिकारिता है, ऐसी संक्रियाओं के संहित रहते हुए उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय कर सकेगा या करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(ख) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 के तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित उपबंध, जहां तक हो सके, इस आदेश के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को लागू होंगे।

10. आदेश का अध्यारोही प्रभाव :

इस आदेश के उपबंधनों का किसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अथवा ऐसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के किसी अधिकारी द्वारा इस आदेश के प्रारम्भ के पूर्व किए गए किसी आदेश में प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, ऐसे आरम्भ के पूर्व की गई या की जाने के लिए लोप की गई किसी बात के सिवाए, अध्यारोही प्रभाव होगा।

11. छूट देने की शक्ति :

यदि केन्द्रीय सरकार कठिनाई को दूर करने के लिए या किसी अन्य न्यायसंगत और पर्याप्त कारणों से आवश्यक समझे, तो वह, किसी व्यक्ति को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस आदेश के सभी या किसी उपबंध से, ऐसी, शर्तों के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, साधारणतया या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए छूट दे सकेगी।

12. निरसन और व्यावृत्ति :

(1) किरोसिन (उपयोग पर निर्बंधन और कीमत नियतन) आदेश, 1966 और किरोसिन (अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1970 निरसित किए जाते हैं, सिवाय उन बातों के जो इन आदेशों के आरम्भ के पूर्व इस आदेश के अधीन की गई या की जाने के लिए लोप की गई है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त आदेशों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस आदेश के तत्स्थानी उपबंध के अधीन की गई समझी जाएगी।

[संख्या पी-11013/3/93 वितरण]
देवी दयाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 1993

G.S.R. 584(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the followig Order, namely :—

1. Short title and commencement :

(1) This Order may be called the Kerosene (Restriction on Use and Fixation of Ceiling Price) Order, 1993.

(2) It extends to the whole of India.

(3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—In this Order, unless the context otherwise requires,

(a) "Chief Controller of Explosives" shall have the same meaning as assigned to it in the Indian Explosives Act, 1884 (4 of 1884);

(b) "consumer" means a person, firm, company, institution, association of persons, co-operative society or organisation who is authorised by the Central or State Government to use kerosene for cooking and illumination;

(c) "dealer" means a person, firm, association of persons, company, institution, organisation or a co-operative society approved by Government Oil Company or Central or State Government or a parallel marketeer and engaged in the business of buying and selling kerosene;

(d) "declared price" in relation to kerosene sold under the public distribution system

means the maximum selling price declared by the Central Government, from time to time with reference to an area and shall include such other charges, rates, duties and taxes, prescribed :—

(i) by the State Government or District Collector in the case of an area in a State, or.

(ii) by the Administrator of the Union Territory, in the case of an area in a Union Territory;

(e) "kerosene" means a middle distillate mixture of hydrocarbons meeting BIS specification No : IS-1459 of 1974 with important characteristics of flash point at a minimum of 35°C and smoke point at a minimum of 18 mm.

(f) "Government Oil Company" means,

(i) the Indian Oil Corporation Limited,

(ii) the Bharat Petroleum Corporation Limited,

(iii) the Hindustan Petroleum Corporation Limited,

(iv) the IBP Co. Limited,

(v) the Oil and Natural Gas Commission,

(vi) the Gas Authority of India Limited,

(vii) the Oil India Limited, or

(viii) any other Government Company or a Statutory body declared by notification to be a Government Oil Company by the Central Government for the purpose of this Order;

(g) "Indian Standard" shall have the same meaning as assigned to it in clause (g) of section 2 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986);

(h) "parallel marketeer" means any person, firm, company institution, association of persons, co-operative society or organisation carrying on the business of importing, refining, producing, packing, marketing, distributing and selling kerosene under the parallel marketing system;

(i) "parallel marketing system" means the system other than the public distribution system, under which a person imports, transport, packs, distributes or sells kerosene under his own arrangement;

(j) "public distribution system" means the system of distribution, marketing or selling of kerosene at declared price through a distribution system approved by the Central or State Government:

(k) "storage point" means the premises approved or licenced by the Chief Controller of Explosives;

(l) "transporter" means a person authorised by a Government Oil Company, parallel marketeer or a distributor for transportation of kerosene.

3. Restriction on use of kerosene supplied under public distribution system—

(1) No person shall use kerosene supplied under the public distribution system for any purpose other than cooking and illumination :

Provided that the Central or State Government may by order permit any person to use kerosene for such other purposes as it may specify in that order.

(2) No dealer appointed under the public distribution system or a transporter shall sell, distribute or supply kerosene under the public distribution system to any person other than the person to whom the supplies are meant for;

4. Procurement, storage and sale of kerosene under the public distribution system :—

(1) No dealer having stocks of kerosene supplied under the public distribution system at the business premises, including the place of storage :—

(a) shall, unless otherwise directed by the Government or Government Oil Company, refuse to sell, distribute or supply the kerosene to any consumer on any working day during working hours,

(b) shall keep his business premises, including the place of storage, closed during working hours on any working day without the prior written permission of the Government or the Government Oil Company,

(c) shall sell, distribute or supply kerosene at a price higher than that fixed by the Government or Government Oil Company.

(2) Every dealer appointed under the public distribution system shall take all reasonable steps to ensure that adequate stocks

of kerosene are available at the business premises including the place of storage at all times.

Explanation—for the purpose of sub-clause (1) the expression "working hours" means the working hours fixed by the concerned Oil Company in accordance with the Shops and Establishments Act in force in the respective State or Union Territory.

5. Display of stock and price by dealers appointed under public distribution system—

Every dealer appointed under the public distribution system shall prominently display at the place of business including the place of storage on a conspicuous place a stock-cum-price board showing :—

(i) the Opening Stock of kerosene;

(ii) the quantity received during the day;

(iii) the quantity sold, delivered or otherwise disposed of during the day;

(iv) the closing stock of the day; and

(v) such other particulars as the Government or Government Oil Company may by order in writing, specify in this regard.

6. Maintenance of Registers, Account Books and submission of returns by a dealer under the public distribution system—

Every dealer appointed under the public distribution system shall maintain proper accounts of daily purchase, sale and storage of kerosene at the business premises, everyday indicating therein :—

(i) the opening stock of kerosene;

(ii) the quantity received during the day;

(iii) the quantity sold, delivered or otherwise disposed of during the day;

(iv) the closing stock; and

(v) such other particulars as the Government or Government Oil Company may by order in writing, specify in this regard.

7. Maintenance of records and furnishing of information by parallel marketeer—

(a) Every parallel marketeer before commencing the import, transportation, packing, marketing, distribution or sale of kerosene shall intimate to the Central Government in the Ministry of Petroleum and Natural Gas his intention to engage in all or any one of the above activities specifying therein his capability to do so, and other relevant particulars.

(b) The parallel marketeer of kerosene shall submit a monthly return before the 15th day of the following month giving details of kerosene imported, portwise, to the Central Government in the Ministry of Petroleum and Natural Gas.

(c) The parallel marketeer shall furnish to the Central Government in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, or to such authority as may be specified by that Government in this regard, such other information as may be required.

8. Kerosene under public distribution system to be made distinguishable—

Kerosene supplied through public distribution system shall be made distinguishable from the kerosene to be imported, sold or distributed under parallel marketing system by use of suitable measures to be adopted by the Government Oil Companies as and when necessary.

9. Power of entry, search and seizure—

(a) An Officer of the Department of Food and Civil Supplies of the Government not below the rank of an Inspector authorised by such Government and notified by the Central Government or any officer authorised and notified by the Central Government, or any Officer not below the rank of a Sales Officer of a Government Oil Company authorised by the Government and notified by the Central Government may, with a view to ensuring compliance with the provisions of this Order, with such assistance as may be required, for the purpose of satisfying himself that this Order or any Order made thereunder has been complied with :—

(i) stop and search any vessel or vehicle or any other conveyance which the Officer has reason to believe has been, or is being, or is about to be used in contravention of this Order.

(ii) enter or search any place with such aid or assistance, as may be necessary; and

(iii) seize and remove with such aid or assistance, as may be necessary, books, registers and other records pertaining to kerosene business, alongwith vehicle, vessel or any other

conveyance used for carrying such stock, if he has reason to believe that any provision of this Order has been or is being or is about to be contravened and thereafter take or authorise the taking of all measures necessary for securing the production of the kerosene at the Office of the Government Oil Company and the vehicle, vessel or other conveyance so seized before the Collector having jurisdiction under the provisions of Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), for their safe custody pending such procedures.

(b) The provisions of section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) relating to search and seizure shall, so far as may be, apply to searches and seizures under this Order;

10. Overriding effect of the Order—

The provisions of this Order shall have the overriding effect notwithstanding anything to the contrary contained in any order made by a State Government or a Union Territory or by an Officer of such State Government or Union Territory before the commencement of this Order, except as regards anything done or omitted to be done thereunder before such commencement.

11. Power to exempt—

The Central Government may, if it considers necessary for avoiding hardship or for any other just and sufficient reasons, by notification in the Official Gazette, exempt any person from all or any of the provisions of this Order, either generally or for any specific period, subject to such conditions as may be specified in the notification.

12. Repeal and Saving—

(1) The Kerosene (Restriction on Use and Fixation of Price) Order, 1966 and kerosene (Fixation of Ceiling Prices) Order, 1970 are hereby repealed except respects things done or omitted to be done under these Orders before the commencement of this Order.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Orders shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Order.

[No. P-11013/3/93-Dist]
DEVI DAYAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993